



2026:AHC:48817

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट - बी याचिका सं - 148/2026

अजय कुमार पटेल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुरेश कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. इस न्यायालय के दिनांक 20.1.2026 के आदेश के अनुपालन में, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने आज न्यायालय में निर्देशों की एक प्रति दाखिल की है जो अभिलेख पर ली गयी है। वह प्रस्तुत करते हैं कि, निर्देशों के अनुसार, आपत्ति का निर्णय चार माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और बोर्ड पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. यह रिट याचिका, अंतर्वस्तु के रूप में, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:
- "(i) न्यायालय परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जो प्रतिवादी सं.2 को उसके समक्ष लंबित मामला संख्या 1896/2025 (कंप्यूटर केस संख्या T202554141878041896) शिवनाथ बनाम राज्य, उत्तर प्रदेश चयन और भू-संरक्षण अधिनियम, 1953 की धारा 94(2) के अंतर्गत (चंदौली के चकबंदी अधिकारी), को निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश दे।"
4. यह प्रस्तुत किया गया है कि यह मामला काफी लंबी अवधि से विचाराधीन है; तथापि, इसे शीघ्र निपटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
5. राज्य के विद्वान अधिशासी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त आपत्ति (मामले) के शीघ्र निस्तारण के लिए कोई निर्देश जारी किया जाता है।
6. इस परिदृश्य में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, राजस्व निरीक्षक (चकबंदी) (प्रतिवादी सं. 2), जिनके समक्ष उपरोक्त मामला निस्तारणार्थ लंबित है, को यह निर्देश देते हुए कि वे इसका निर्णय कानून के अनुसार शीघ्रता से, यथासंभव, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस माह की अवधि के भीतर करें, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।
7. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”